न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—387/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00387)

1. मोहनलाल पुत्र धन्नाजी जाति भांबी, निवासी बलाईखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती मेहफूल पुत्री धन्ना जी पत्नि घीसूलाल जी जाति भांबी निवासी ग्राम बलाईखेडा हाल निवासी न्यागांव (शेखावास), तहसील भीम जिला राजसमन्द।

अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र लाल जी
2. हीरालाल पुत्र लाला जी
3. श्रीमती पानी बेवा लाला जी
4. श्रीमती बरदी बेवा उरजा जी

समस्त जाति भांबी निवासी बलाईखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 राजस्व वाद संख्या 26/2016

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रीति जैन/दुर्गा सांखला अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 **अनुपस्थित**
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित प्रावधानों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्णतया दरकिनार करते हुए जो निर्णय पारित

किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतानुसार दूसरे पक्ष को सुने बिना उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण को ही बिना सूचित किए एवं जवाब प्रस्तुत करने बाबत बिना कोई अवसर दिए ही सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जो आदेश पारित किया है। वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निर्णय अपील निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी नजरअंदाज कर दिया कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधान है कि– जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता हो, जहां दावाकृत अनुतोष कम किया गया हो, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिख गया है। जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। कानूनन उक्त चारों स्थितियों में से किसी भी स्थिति होने पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त चारों स्थितियों में से किसी एक भी स्थिति बाबत ना तो कोई कथन वर्णित किया गया एवं ना ही ऐसी कोई स्थिति साबित कराई गई जिससे उक्त प्रावधानों के तहत वाद पत्र चलने योग्य नहीं हो। परन्तु फिर भी उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए सरसरी तौर पर ही जो निर्णय पारित किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जो कि कानूनी खातेदार द्वारा ही लाया जा सकता है। चूंकि वादीगण प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में उन्हें वाद लाने की अधिकारिता है तथा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसे सुनने की श्रवणाधिकारिता मात्र राजस्व न्यायालय को ही है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति को पूर्णतया दरकिनार करते हुए वाद वादीगण सरसरी तौर पर खारिज करने का जो आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णित करते हुए कि वादी ने मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा ही प्रस्तुत किया है जबकि विभाजन का दावा प्रस्तुत नहीं किया है, के आधार पर दावा खारिज करने में घोर त्रुटि की है। कानूनन किसी खातेदार द्वारा बिना विभाजन के स्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत दावा पेश करना कहीं प्रतिबंधित नहीं है एवं ना ही उक्त आधार पर वाद को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है। यदि उक्त बाबत कोई उज्र भी है तो वह बाद जवाब साक्ष्य सबूत तनकियात कायम करने के उपरान्त ही विधिवत तय किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरन्दाज कर दिया कि वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत वाद मात्र चार खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण द्वारा नहीं जाने देने के फलस्वरूप स्वयं के अधिकारों की रक्षा हेतु एवं प्रत्येक संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होने के सिद्धान्तानुसार ही उक्त आराजी पर आने जाने हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को पांबद किए जाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है ना कि स्वयं के कब्जे में किसी सह खातेदार को आने से रोकने बाबत। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति को समझने का प्रयास किए बिना ही सरसरी तौर पर वाद खारिज करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 15.06.2016 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 368, 369, 370 व 371 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी/शामलाती खातेदारी की भूमियां है। उक्त आराजीयात का उभयपक्षों के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। जब तक उक्त आराजीयात का बंटवारा होकर खाते अलग अलग कायम नहीं होते तब तक वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि बिना विभाजन के विवादित आराजीयात के प्रत्येक इंच पर सभी सह खातेदारों का कब्जा माना गया है।

हमारे द्वारा न्यायिक नजीर 1993 आर0आर0डी पेज 650, 652 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह अंकित किया हुआ है कि "सभी सह हिस्सेदार का अविभाज्य आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है और बिना बंटवारे के एक सह हिस्सेदार दूसरे सहहिस्सेदार के विरूद्ध इस आशय का आदेश जारी नहीं करवा सकता कि एक सहभागीदार दूसरे सहभागीदार के कब्जेकाश्त में मदाखलत व मजाहमह नहीं करे"।

वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र केवल स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ही प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा बंटवारा का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष सहखातेदारों के विरूद्ध दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के न्यायसंगत आदेश पारित किए हैं। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष मान्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक रूप से पारित किया है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर